

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

केशव कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, सारण एवं सिवान।

पटना, दिनांक- 24-2-2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,40,53,000/- (चार करोड़ चालीस लाख तिरेपन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,40,53,000/- (चार करोड़ चालीस लाख तिरेपन हजार रुपये) मात्र राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन
24/2/2016
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-5/बजट 1-07/2015 सा0-.....

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, सारण एवं सिवान।

पटना, दिनांक-

2016

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,40,53,000/- (चार करोड़ चालीस लाख तिरेपन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,40,53,000/- (चार करोड़ चालीस लाख तिरेपन हजार रुपये) मात्र राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन


ह0/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-07/2015 सा10-.....⁶⁸...../ पटना, दिनांक-^{24/2} /2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/2/2016
सरकार के संयुक्त सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2053 जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन, गैर योजना बजट (विपत्र कोड N2053000930001) का आवंटन

क्र०सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	अन्य भत्ता	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	कुल योग
1	2	3	4	5	7	8		9
1	गोपालगंज	1,16,00,000	1,55,00,000	11,00,000	1,00,000	-	-	2,83,00,000
2	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	46,000	-	46,000
3	किशनगंज	12,50,000	24,00,000	-	-	-	-	36,50,000
4	सारण	50,00,000	65,00,000	5,00,000	30,000	-	-	1,20,30,000
5	सिवान	-	-	-	-	-	27,000	27,000
	कुल योग	1,78,50,000	2,44,00,000	16,00,000	1,30,000	46,000	27,000	4,40,53,000

(चार करोड़ चालीस लाख तिरपन हजार रुपये) मात्र

29/2/2016
सरकार के संयुक्त सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।